प्रेस नोट–109/2026
दिनांक 21.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना फरह

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **कुंडल लूट के हिस्से में आये 24 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20.02.2026 की रात्रि थाना फरह व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फरह–परखम रोड गोवर्धन पुलिया के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त रामजीत घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से कुंडल लूट के हिस्से में आये 24 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फरह पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा के थाना फरह पर लूट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फरह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामजीत निवासी पिपरोठ थाना फरह जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–कुंडल लूट के हिस्से में आये 24 हजार रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना ताजगंज

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 90 हजार रूपये नगद**
- **06 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियों कार आदि बरामद**

दिनांक 21.02.2026 को थाना ताजगंज व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसई मंडी से मॉलिक्यूल की तरफ जाने वाली रोड़ से 05 अभियुक्तों 1–आमिर 2–आस मोहम्मद 3–शैलेंद्र 4–अतुल 5–प्रिस उर्फ दरोगा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 90 हजार रूपये नगद, 06 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियों कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना ताजगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त अतुल के विरूद्ध जनपद बदायूं, हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, आगरा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त प्रिंस उर्फ दरोगा के विरूद्ध जनपद हापुड़, बदायूं, कमिश्नरेट गाजियाबाद, आगरा के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ताजगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमिर निवासी गांव मंडोला ट्रॉनिका सिटी, गाजियाबाद।

2–आस मोहम्मद निवासी भोजपुर थाना भोजपुर , गाजियाबाद।

3–शैलेंद्र निवासी गांव निहालपुर थाना महरौरा जनपद एटा।

4–अतुल निवासी गांव मंडोला ट्रॉनिका सिटी, गाजियाबाद।

5–प्रिस उर्फ दरोगा निवासी गांव पट्टी थाना भोजपुर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 90 हजार रूपये नगद।

2–06 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियों कार आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रसूलपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये (कीमत) के 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 21.02.2026 को थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त नरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये (कीमत) के 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 मोबाइल फोन, 01 ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नरेश निवासी ग्राम सभा पंजी थाना बायतू जिला बाडमेर, राजस्थान।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये (कीमत) के 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 ट्रक।

- **<u>जनपद बलिया/थाना बैरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बैरिया पर पंजीकृत अभियोग में 04 अभियुक्तों 1–धर्मेन्द्र 2–ओमप्रकाश 3–राजेश 4–बृजेश को धारा 302/504 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना जलेसर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 88 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जलेसर पर पंजीकृत अभियोग में 02 अभियुक्तों 1–विनोद 2–जितेन्द्र को धारा 363/366/377/506 भादवि 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 88 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त छोट्टन उर्फ श्याम करन को धारा 376 (2)(ढ) भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————